शिक्षा विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

संचिका संख्या 7/विविध–25/2019 ..../ बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियोजन की कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं समय–तालिका का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या 1098 दिनांक 22.08.2019, 1329 दिनांक 04.10.2019 एवं 1563 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा किया गया था।

2. संगत नियोजन नियमावली अन्तर्गत National Institute of open schooling (NIOS) द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के D.El.Ed. प्रशिक्षण की मान्यता पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से परामर्श प्राप्त कर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1188 दिनांक 11.09.2019 के द्वारा सभी संबंधितों को यह संसूचित किया गया कि उक्त प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र की मान्यता प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन के लिए नहीं है।

3. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1188 दिनांक 11.09.2019 को चुनौती देते हुए NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के D.El.Ed. प्रशिक्षण की मान्यता शिक्षक नियोजन में दिए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 19842/2019 (संजय कुमार यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) दायर किया गया।

4. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.01.2020 को आदेश पारित करते हुए याचिका को स्वीकृत किया गया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1188 दिनांक 11.09.2019 को अपास्त (Set Aside) करते हुए वादीगण को शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु आवेदन देने के लिए एक माह की अवधि निर्धारित करते हुए वादीगण के शिक्षक के पद पर नियोजन के दावा पर विचार करने का आदेश दिया गया है।

5. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 19842/2019 एवं संलग्न वादों में बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर आगामी नियोजन हेतु NIOS के माध्यम से प्राप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण की डिग्री D.El.Ed. की मान्यता हेतु पारित आदेश के संबंध में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 183 दिनांक 05.02.2020 द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से सूचना मांगी गयी थी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के पत्रांक Reg1011/166/2017-US (Regulation) H.Q. दिनांक 19.05.2020 द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में प्रशिक्षण की मान्यता प्रदान की गयी है।

6. NCTE के द्वारा उक्त मान्यता के संदर्भ में दिए गए संसूचन एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के मद्देनजर शिक्षक नियोजन 2019 की प्रक्रिया को निम्न समय तालिका के अनुरूप पूर्ण करने का निदेश सम्बन्धित नियोजन इकाईयों को दी जाती है:–

क्र० सं०	नियोजन संबंधित गतिविधि	अवधि
i	NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के D.El.Ed. एवं टी०ई०टी०/सी०टी०ई०टी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों **मात्र** से आवेदन पत्र प्राप्त करना	दिनांक 15.06.2020 से 14.07. 2020 तक
ii	मेधा सूची की तैयारी	18.07.2020 तक
iii	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	21.07.2020तक
iv	मेधा सूची का प्रकाशन	23.7.2020 तक

v	मेधा सूची पर आपत्ति	24.07.2020 से 7.8.2020 तक
vi	आपत्तियों का निराकरण	10.08.2020 तक
vii	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	12.08.2020 तक
viii	जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन	13.08.2020 से 22.08.2020 तक
ix	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण	25.08.2020
x	आवेदन के साथ संलग्न स्व–अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्रों का मूल प्रमाण–पत्र से मिलान एवं चयन सूची का निर्माण	28.08.2020
xi	चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों की जाँच एवं नियोजन पत्र निर्गत करना	31.08.2020

यह भी निदेश दिया जाता है कि जिलान्तर्गत नियोजन इकाईवार रिक्ति (दिव्यांगजन सहित) का प्रकाशन जिले के NIC के वेबसाईट पर अवश्य किया जाय। शेष पूर्व से निर्गत अन्य दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(अरशद फिरोज)
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 7/विविध–25/2019................ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी महापौर, नगर निगम/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष नगर परिषद्/नगर पंचायत/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा)/सभी प्रमुख, पंचायत समिति/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी मुखिया ग्राम पंचायत/सभी ग्राम पंचायत के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 7/विविध–25/2019................ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–राज्य परियोजन निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी सदस्य जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार/आप्त सचिव, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 7/विविध–25/2019.......482 पटना, दिनांक 08/06/20

प्रतिलिपिः–आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना